

19.8.25

पत्रावली पेश हुई

प्राथी वकील उपस्थित

विप्राथीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है।

का फा 3

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

28.8.25

पत्रावली पेश हुई।

प्राथी वकील उपस्थित।

विप्राथीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है।

वकील प्राथीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्तु आवेदन पुनः बरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्राथीगण ने तर्क दिया कि प्राथीगण का राजस्व वा संख्या 39/2024 अनवान छोगा उर्फ छोगाराम बनाम देवा वगैरा के तहत माननीय न्यायालय में, दिनांक 16.01.2025 को सुनवाई हेतु नियत थी। उपरोक्त प्रकरण में प्राथीगण के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं पाये और इस बात की सूचना प्राथीगण को भी नहीं दे सके, इसलिए उस रोज प्राथीगण भी उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 16.01.2025 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्राथीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस प्रकार वादीगण का दावा मजबूत तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्राथीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



किये
मानना है, वि.
सुनवाई का पर्याप्त अवसर
हक्को के लिए सम्म
उचित समझता है

लि
पी.सी
आ

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 16.01.2025 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी. पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2025 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी